बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

(बिहार सरकार का उपक्रम)

निबंधित कार्यालय : प्रथम तल, विद्युत् भवन, बेली रोड, पटना

Website :- www.bsphcl.bih.nic.in

DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

संकल्प संख्या 67 /पटना, दिनांक 22-10-/2018

H-V/ PR- ACP-1001/15 (P)

विषय:- बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनी के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार सरकार के संकल्प संख्या-7566 दिनांक-14.07.2010 के द्वारा राज्य कर्मियों के लिए 1 जनवरी, 2009 से प्रभावी होने वाली रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (Modified Assured Career Progression Scheme), 2010 को पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के संकल्प संख्या-134 दिनांक-20.08.2010 के द्वारा पूर्ववर्त्ती बोर्ड कर्मियों के लिए निम्नलिखित संशोधन के साथ अंगीकृत किया गया-

(i) बोर्ड के विद्युत अभियंताओं (जी०टी०ओ० एवं सामान्य संवर्ग) को इस योजना का लाभ क्रमशः 8, 16 एवं 24 वर्षो की लगातार सेवा के उपरान्त देय होगा। अन्य सेवा/संवर्ग के कर्मियों को इस योजना का लाभ क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्षो की लगातार सेवा के उपरांत अनुमान्य किया गया।

(ii) उक्त योजना बोर्ड कर्मियों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 (ACP Scheme, 2010) के रूप में जानी जायेगी तथा बोर्ड कर्मियों के कालबद्ध वेतनमान/सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (A.C.P.) संबंधी पूर्व में निर्गत सभी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए दिनांक-01.01.2009 से लागू किया गया।

(2) उक्त योजना के तहत पूर्ववर्त्ती बोर्ड के विभिन्न संवर्गो के पदों को अनुमान्य किये जाने वाले ग्रेड वेतन तथा वेतन बैंड को अधिसूचित करने के प्रयोजनार्थ गठित समिति के अनुशंसा के आलोक में संकल्प संख्या-76 दिनांक-07.05.12 के कंडिका-10(क) के द्वारा कर्मचारी संवर्ग के लिए एवं कंडिका-10(ख) के द्वारा पदाधिकारी संवर्ग के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए०सी०पी० योजना के तहत अनुमान्य किये जाने योग्य पे-बैंड, ग्रेड-पे एवं विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करते हुए आदेश निर्गत किया गया। षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण में संकल्प संख्या-591 दिनांक-12.12.2013 के द्वारा संशोधित पे बैंड एवं ग्रेड पे लागू किये जाने के पश्चात् संकल्प संख्या-33 दिनांक-20.04.2016 द्वारा ए०सी०पी० संबंधी उक्त संकल्प संख्या-76 दिनांक-07.05.2012 के आदेश को सशोधित किया गया। पुनः संकल्प संख्या-62 दिनांक-28.12.2017 के द्वारा सातवां वेतन पुनरीक्षण संबंधी आदेश निर्गत होने के पश्चात कर्मियों को ए०सी०पी० योजना पुनरीक्षित वेतनमान में लाभ प्रदान करने हेतु संकल्प संख्या-66 दिनांक-28.12.2017 के द्वारा दिशा-निर्देश भी निर्गत किया गया है।

(3) कालान्तर में अभियंताओं (जी०टी०ओ० एवं सामान्य संवर्ग) के सदृश्य ही कर्मचारियों एवं अन्य पदाधिकारियों को भी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए०सी०पी० का लाभ क्रमशः 8, 16 एवं 24 वर्षो में ही प्रदान करने का मामला सम्प्रति विचाराधीन था। अतएव बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के दिनांक-10.10.2018 को सम्पन्न निदेशक मंडल की बैठक में संकल्प संख्या 64-12 द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में विद्युत कम्पनी के सभी संवर्ग के कर्मचारियों, पदाधिकारियों एवं अभियंताओं को ए०सी०पी० योजना का लाभ समान रूप से प्रदान करने के उद्धेश्य से निम्नलिखित आदेश निर्गत किया जाता है-

(i) पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के संकल्प संख्या-134 दिनांक-20.08.2010, संकल्प संख्या-76 दिनांक-07.05.12 एवं संकल्प संख्या-33 दिनांक-22.04.2016 में निहित प्रावधान में आंशिक संशोधन करते हुए बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों के सभी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ACP Scheme), 2010 के तहत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए०सी०पी० का लाभ क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्षो के स्थान पर अभियंताओं (जी०टी०ओ० एवं सामान्य संवर्ग) के सदृश्य 8, 16 एवं 24 वर्षो की लगातार सेवा के उपरांत 1 अक्टूबर, 2018 से प्रदान किया जायेगा।

(ii) संकल्प संख्या-134 दिनांक-20.08.2010, संकल्प संख्या-76 दिनांक-07.05.2012, संकल्प संख्या-33 दिनांक-20.04.2016 एवं संकल्प संख्या-66 दिनांक-28.12.2017 के अन्य प्रावधान यथावत रहेंगें।

(iii) दिनांक-01.10.2018 के पूर्व की अवधि में देय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लिए पूर्व प्रावधान पूर्णत: प्रभावी रहेंगें।

आदेश से,

22/10/18

(राजीव रंजन सिन्हा)

महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक 68 /पटना दिनांक 22-10-/2018

प्रतिलिपि:-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के तकनीकी सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड/ निदेशक (मा०सं०) के प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के प्रधान आप्त सचिव, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के आप्त सचिव, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

22/10/18

(राजीव रंजन सिन्हा)

महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक 68 /पटना दिनांक 22-10-/2018

प्रतिलिपि:-सभी निदेशक/सभी महाप्रबन्धक (मा०सं०/प्रशा०)/सभी महाप्रबन्धक-सह-मुख्य अभियंता/सभी मुख्य अभियंता/सभी महाप्रबन्धक (राजस्व)/महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/परियोजना प्रबंधक/सभी उप महाप्रबन्धक-सह-विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी उप महाप्रबन्धक/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी (मा०सं०/प्रशा०)/विधि परामर्शी/सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक)/उप विधि परामर्शी/सभी वरीय प्रबंधक /सभी अवर सचिव/सभी लेखा पदाधिकारी/कम्पनी सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना एवं इसके सभी अनुषंगी कम्पनियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

22/10/18

(राजीव रंजन सिन्हा)

महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक 68 /पटना दिनांक 22-10-/2018

प्रतिलिपि:-आवासीय अभियंता, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड अतिथिशाला, नई दिल्ली/कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/10/18

(राजीव रंजन सिन्हा)

महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक 68 /पटना दिनांक 22-10-/2018

प्रतिलिपि:-उप महाप्रबंधक (आई० टी०)/डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/10/18

(राजीव रंजन सिन्हा)

महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)